बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

कार्यालय क्षेत्रीय उप-निदेशक स्वास्थ सेवाएं, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के ज्ञापांक- 785, दिनांक- 16.12.2005 द्वारा डा. शंभुनाथ झा, को एम.डी. रेडियो गलत ढंग से दर्शा कर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गायघाट, मुजफ्फरपुर से सदर अस्पताल, मुजफ्फरपुर में पदस्थापित किया गया था। श्री झा वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेनीपट्टी, मधुबनी में पदस्थापित हैं साथ ही प्राथमिक शिक्षक संघ बेनीपट्टी, मधुबनी के भवन में अपना अल्ट्रासाउंड का क्लिनिक चलाते हैं। उनके पास एम.डी. (रेडियो) की डिग्री नहीं है, फिर भी विभागीय पदाधिकारियों की मिलीभगत से निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार के पत्रांक- 394 (12), दिनांक- 22.04.2016 में निहित प्रावधानों के विरूद्ध अल्ट्रासाउंड सेंटर के लिए रजिस्ट्रेशन दिया गया है।

अत: उपरिवर्णित तथ्यों की जांच कराकर श्री झा की अल्ट्रासाउंड सेंटर चलाने का रजिस्ट्रेशन रद्द करने एवं इसमें संलिप्त पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई करने हेतु सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- शिव प्रसन्न यादव, स. वि. प.
ह./- सोनेलाल मेहता, स.वि.प.
ह./- राधाचरण साह, स.वि.प.
ह./- नीरज कुमार, स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 99/2017 - 507 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 20.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ स्वास्थ्य विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 23.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(संजय कुमार)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

वित्तीय वर्ष 2009-10 में मैंने अपने विधान पार्षद निधि से गया जिला में विकास कार्य हेतु अनेक योजना दिया था। योजनाओं को मार्गदर्शिका के अनुसार मैंने अनुशंसा किया, लेकिन विभागीय शिथिलता के कारण अनुशंसित योजनाओं का कार्य आरंभ ही नहीं किया गया। ज्ञातव्य हो कि उस समय योजनाएं उप विकास आयुक्त स्तर से क्रियान्वित किया जाता था, पुन: 2011-12 से मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना की शुरूआत के बाद मेरी अनेक अनुशंसित योजनाएं निविदा एवं विभागीय स्तर से की गयी। इनमें से कुछ योजनाओं को पूर्ण किया गया, कुछ योजनाओं को अधूरा छोड़ दिया गया, कुछ योजनाओं का निर्माण कार्य शुरू भी नहीं किया गया। क्षेत्र भ्रमण के दौरान देखा गया कि अनुशंसित योजनाओं की शिलापट्ट नहीं लगाया गया है जिससे यह पता ही नहीं चलता है कि ये योजनाएं मेरे द्वारा अनुशंसित हैं या किसी अन्य मद की। बार-बार अनुरोध करने के बावजूद मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजनाओं की मेरे शेष बची राशि के संबंध में जानकारी नहीं दी जा रही है। जानकारी के अभाव में मैं अपनी निधि का उपयोग नहीं कर पा रहा हूं।

अत: वित्तीय वर्ष 2009-10 की शेष बची हुई राशि किस मद में उपयोग हो, वित्तीय-वर्ष 2011-12 से मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना में बरती जा रही अनियमितता एवं शेष बची राशि की विवरणी नहीं देने के लिए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- उपेन्द्र प्रसाद,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 100/2017 - 508 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 20.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ योजना एवं विकास विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 23.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(संजय कुमार)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद् — ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा वाद संख्या- 5539/ 2016 में दिए गए आदेश के बावजूद गोला रोड, मुजफ्फरपुर की परिसम्पत्ति जिसकी खाता संख्या- 94, खेसरा नं.- 145 (एम), 146 (एम), थाना नं.- 406, रकबा- 0.516 हे. (3 कट्ठा, 4.5 धुर), तौजी नं.- 443, वार्ड नं.- 11 (पुराना), नया-21 जो अशोक ऑटो सर्विस, गोला रोड, मुजफ्फरपुर का है, इस पर नियमानुसार दखल-कब्जा नहीं दिलाया जा रहा है। आवेदक श्री मुकेश कुमार, पिता- स्व. जगदीश प्रसाद, निवासी- मुहल्ला- गोलारोड, थाना- नगर, जिला- मुजफ्फरपुर का कहना है कि इसके लिए नगर थाना, मुजफ्फरपुर एवं जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन को भी सूचित किया गया परन्तु स्थानीय प्रशासन विरोधी पक्ष के साथ मिली हुई है और कानूनी कार्य में बाधा उत्पन्न कर रही है।

अत: न्यायालय के आदेशानुसार और सामान्य न्याय सिद्धांत के अनुसार स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को कार्य करने का निदेश देने एवं आवेदक को उनकी परिसम्पत्ति पर दखल कब्जा दिलाने के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- राजकिशोर सिंह कुशवाहा,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 101/2017 - 509 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 20.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ गृह विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ(एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु)प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 23.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

21/03/17

(संजय कुमार)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद् ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया सम्पन्न करायी जा रही है, जिसमें कई विषयों का अंतिम परिणाम भी प्रकाशित हो गया है। कुछ का परिणाम आना बाकी है। विडम्बना है कि जिन विषयों यथा- अंग्रेजी, दर्शनशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान एवं भौतिकी में सहायक प्रोफेसर की बहाली हेतु अंतिम परिणाम प्रकाशित कर दिया गया है, उन विषयों में अब तक योगदान नहीं कराया गया है। जिसके कारण अभ्यर्थियों में निराशा एवं असंतोष व्याप्त है। सिर्फ मैथिली विषय में ही नियुक्त सहायक प्रोफेसर के पद पर योगदान कराया गया है।

अत: मैं सरकार से जिन विषयों का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया है वैसे अभ्यर्थियों को सहायक प्रोफेसर के पद पर यथाशीघ्र योगदान कराने तथा जिन विषयों का साक्षात्कार नहीं कराया गया है, उसका साक्षात्कार कराकर अंतिम परिणाम प्रकाशित करने हेतु सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करती हूं।

ह./- रीना देवी,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 102/2017– 510 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 20.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 23.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(संजय कुमार)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

पटना जिला के धनरुआ प्रखंड व थानान्तर्गत नदवां पंचायत अवस्थित मिश्रीचक एवं नई हवेली मुसहरी महादलित टोला तक जाने के लिए अभी तक कोई पथ नहीं है, जबकि इस गांव की आबादी लगभग 1500 है। यहां मुख्य रूप से अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं महादलित वर्ग के लोग निवास करते आ रहे हैं। चपोर रोड से मिश्रीचक गांव तक की दूरी लगभग एक किलोमीटर है। इस गांव के लोगों को समाज की मुख्य-धारा से जोड़ने हेतु पक्की सड़क निर्माण करने के लिए देश की आजादी के 70 वर्ष बाद भी आज तक किसी भी सक्षम पदाधिकारी को चिंता नहीं है जिससे स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है।

अत: चपौर रोड से मिश्री चक एवं नई हवेली मुसहरी महादलित टोला तक शीघ्र पक्की सड़क निर्माण करने के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- चन्देश्वर प्रसाद,
स.वि.प.

ज्ञापांक-बि.प.अ.प्र.- 103/2017 - 512 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 20.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार/ ग्रामीण विकास विभाग, बिहार/ पथ निर्माण विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ(एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु)प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 23.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(संजय कुमार)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

राज्य के पश्चिमी चम्पारण जिला के प्रखंड- गौनाहा में श्रीमती नीलम कुमारी, ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर विगत डेढ़ वर्षों से पदस्थापित हैं। इनके पति श्री प्रभात समीर, पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर थाना- गौनाहा में पदस्थापित हैं। जो थाना प्रखंड मुख्यालय गौनाहा से सटे स्थित है। श्रीमती नीलम कुमारी अपने पति के पुलिस वर्दी का दबदबा दिखाकर आम जनता एवं पंचायती राज प्रतिनिधियों को अपमानित करती रहती हैं। श्रीमती कुमारी द्वारा दिनांक- 03.02.2017 को पंचायत भितिहरवा के मुखिया श्रीमती रामपति देवी के साथ अपने कार्यालय कक्ष में मारपीट तथा अभद्र व्यवहार करते हुए अर्द्धनग्न कर दी तथा अपने बचाव हेतु अनु. जाति की महिला मुखिया एवं परिजनों के समर्थकों के ऊपर एक झूठा मुकदमा थाना गौनाहा में कांड सं.- 09/17 दिनांक- 03.02.2017 को दर्ज कराकर मानसिक रूप से प्रताडित कर रही हैं।

ज्ञातव्य है कि जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया ने जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के पत्रांक- 38, दिनांक- 13.02.2017 के द्वारा सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार को संबोधित करते हुए पत्र लिखा है श्रीमती नीलम कुमारी, प्रखंड विकास पदा., गौनाहा की प्रशासनिक अक्षमता त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के प्रति नकारात्मक व्यवहार तथा अनु. जाति महिला मुखिया के साथ किए गए दुर्व्यवहार का वर्णन करते हुए श्रीमती कुमारी का यथाशीघ्र स्थानांतरण करने का अनुरोध किया है।

अतएव श्रीमती रामपति देवी, मुखिया एवं उनके परिजनों समर्थकों पर किए गए झूठे मुकदमे गौनाहा थाना कांड सं.- 09/17 में न्याय दिलाने, मुखिया के साथ घटित घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने एवं जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया के पत्रांक- 38, दिनांक- 13.02.2017 के आलोक में श्रीमती नीलम कुमारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, गौनाहा के साथ-साथ उनके पति श्री प्रभात समीर, अवर निरीक्षक, गौनाहा का यथाशीघ्र स्थानांतरण करते हुए विभागीय कार्यवाही करने के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- मनोज यादव, स. वि. प.
ह./- राजेश राम, स.वि. प.
ह./- उपेन्द्र प्रसाद, स.वि.प.
ह./- तनवीर अख्तर, स.वि.प.
ह./- सलमान रागीब, स.वि.प.
ह./- रामचन्द्र भारती, स.वि.प.
ह./- मो. गुलाम रसूल, स.वि.प. एवं

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 104/2017 - 513 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 20.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ ग्रामीण विकास विभाग, बिहार/ सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार/ गृह विभाग, बिहार/ पंचायती राज विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 23.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।
3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(संजय कुमार)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद् ।